ISSN 0973-3914

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

Peer- Reviewed Research Journal

UGC Journal No. (Old) 40942
Impact Factor 5.125 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory © ProQuest, U.S.A. Title Id: 715205

Centre for Research Studies
REWA (M.P.)

2022

www.researchjournal.in

अंक 37 हिन्दी संस्करण वर्ष - 19 जुलाई-दिसम्बर 2022

आई. एस. एस. एन. 0973-3914

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

Peer-Reviewed Research Journal
UGC Journal No. (Old) 40942
Impact Factor 5.125 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest U.S.A. Title Id : 715205

अंक-37 हिन्दी संस्करण वर्ष-19 जुलाई - दिसम्बर 2022

डॉ. अखिलेश शुक्ल
ऑनरेरी सम्पादक
प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड तथा पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड से सम्मानित
akhileshtrscollege@gmail.com

डॉ. संध्या शुक्ल
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
drsandhyatrs@gmail.com

डॉ. गायत्री शुक्ल
अतिरिक्त निदेशक, सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
shuklagayatri@gmail.com

डॉ. आर. एन. शर्मा
सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा, रीवा
rnsharmanehru@gmail.com

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
की मुख्य शोध पत्रिका
म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत
पंजीयन क्रमांक 1802, सन् 1997

विषय विशेषज्ञ/परामर्श मण्डल

1. डॉ. अरविंद जोशी, सेवानिवृत आचार्य, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी
arvindvns@outlook.com
2. डॉ. रामशंकर, कुलपति, पं. शम्भूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल
rs_dubey@yahoo.com
3. डॉ. डी. एस. राजपूत, आचार्य, डॉक्टर हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर
drdiwakarrajeut@rediffmail.com
4. डॉ. बी. के. सिंह, आचार्य, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी
imdrbrajesh.kv@gmail.com
5. डॉ. अंजली श्रीवास्तव, सेवानिवृत आचार्य, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा
anjali_apsu@rediffmail.com
6. डॉ. बी. पी. बडोला, सेवानिवृत्त आचार्य, कांगड़ा हिमाचंल प्रदेश
bpbadola@gmail.com
7. डॉ. आभा सक्सेना, सह प्राध्यापक, अग्रसेन कन्या स्वशासी महाविद्यालय वाराणसी
drabhasaxena7@gmail.com
8. डॉ. प्रज्ञा मिश्रा, आचार्य, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट
pragyamishramgcgv@gmail.com
9. डॉ. आशीष सक्सेना, आचार्य, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
ashish.ju@gmail.com
10. डॉ. ज्योति उपाध्याय, आचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश
drjyotiupadhyay11@gmail.com
11. डॉ. प्रमिला पुनिया, सह प्राध्यापक, इतिहास, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान
pramilapoonia@rediffmail.com
12. डॉ. मृदुल जोशी, आचार्य, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार
dr_mriduljoshi@yahoo.com
13. डॉ. शैलजा दुबे, प्राध्यापक, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल
shailjadubey70@yahho.in
14. डॉ. प्रमिला श्रीवास्तव, आचार्य, शासकीय कला महाविद्यालय कोटा राजस्थान
dr21pramila@gmail.com
15. डॉ. जयशंकर शाही, आचार्य, अलवर राजस्थान
jayshankarshahi@gmail.com
16. डॉ.एन. पी. त्रिपाठी , सेवानिवृत्त आचार्य, रीवा मध्य प्रदेश
17. डॉ. राजेश भट्ट, एच. एन. बी. केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड
rajeshbhatt11@gmail.com

Guide Lines

- **General:** English and Hindi Editions of Research Journal are published separately. Hence Research Papers can be sent in Hindi or English.
- **Manuscript of research paper:** It must be original and typed in double space on the one side of paper (A-4) and have a sufficient margin. Script should be checked before submission as there is no provision of sending proof. It must include Abstract,Keywords, Introduction, Methods, Analysis, Results and References. Hindi manuscripts must be in Devlys 010 or Kruti Dev 010 font, font size 14 and in double spacing. All the manuscripts should be in two copies and in Email also. Manuscripts should be in Microsoft word program. Authors are solely responsible for the factual accuracy of their contribution.
- **References :** References must be listed cited inside the paper and alphabetically in the order- Surname, Name, Year in bracket, Title, Name of book, Publisher, Place and Page number in the end of research paper as under- Shukla Akhilesh (2018) Criminology, Gayatri Publications, Rewa : Page 12.
- **Review System:** Every research paper will be reviewed by two members of peer review committee. The criteria used for acceptance of research papers are contemporary relevance, contribution to knowledge, clear and logical analysis, fairly good English or Hindi and sound methodology of research papers. The Editor reserves the right to reject any manuscript as unsuitable in topic, style or form without requesting external review.

लेखकों से निवेदन-

- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेज (ISSN-0973-3914) सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज की मुख्य शोध पत्रिका है, जो मानव संसाधन मंत्रालय तथा पंजीयक समाचार पत्र एवं पत्रिका, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत हैं।
- शोध पत्रिका उलरिच इन्टरनेशनल पीरियाडिकल्स डाइरेक्ट्री प्रोक्वेस्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका से इंडेक्स्ड और लिस्टेड हैं।
- शोध पत्रिका का अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण अलग-अलग प्रकाशित होता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस का प्रकाशन प्रतिवर्ष जून एवं दिसंबर में किया जाता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस को इम्पैक्ट फैक्टर एवं आई.एस.एस.एन प्राप्त हैं। शोध पत्रिका Peer-Reviewed हैं।
- शोध पत्रिका के नवीनतम अंक में प्रकाशित शोध पत्रों को हमारी वेबसाइट www.researchjournal.in (Current Issue) में देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है।
- शोध पत्रिका का प्रिंट एडीशन सदस्यों को अलग से डाक द्वारा भेजा जाता है।
- शोध पत्र में शीर्षक, नाम, पद, पदस्थापना का विवरण, पत्र व्यवहार का पता तथा दूरभाष क्रमांक,
- मोबाइल नं., ई-मेल एड्रेस अवश्य दिया जाये।
- शोध पत्र के प्रारम्भ में कम से कम 50-100 शब्दों का सारांश दिया जाये।
- मुख्य शब्द सारांश के नीचे टाइप कराया जाये।

- शोध पत्र में शोध पद्धति तथा शोध में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध पत्र में निष्कर्ष और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाये। संदर्भ ग्रंथों का विवरण पूरा दिया जाये। लेखक का नाम, वर्ष, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का विवरण, प्रकाशक का स्थान और पृष्ठ संख्या आदि का विवरण दिया जाना चाहिए।
- शोध पत्र माईक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में टाइप किया हुआ होना चाहिए। (नोट- पेज मेकर की फाइल, पी.डी.एफ. फाइल, स्कैन मैटर आदि में कदापि शोध पत्र न भेजें) शोध पत्र हिन्दी लिपि में कृतिदेव या देवलिस फांट 010(फॉन्ट साइज 14, स्पेस डबल, मार्जिन ए-4 साईज के कागज में चारो तरफ 1 इंच) में भेजा जाना चाहिए।
- शोध पत्र के साथ यह घोषणा अवश्य संलग्न करें कि शोध पत्र मौलिक है तथा इसे कहीं अन्यत्र प्रकाशनार्थ प्रेषित नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम शोध पत्र ई-मेल द्वारा भेजें-

researchjournal97@gmail.com,
researchjournal.journal@gmail.com

शोध पत्र की स्वीकृति की सूचना सम्पादकीय कार्यालय द्वारा लेखक को ई-मेल एवं दूरभाष द्वारा प्रदान की जाती है।

© सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज

एक अंक रुपये 500.00

-सदस्यता शुल्क -		
अवधि	व्यक्तिगत सदस्यता	संस्थागत सदस्यता
वर्ष एक	2000-00	2500-00
वर्ष दो	2500-00	4000-00

सदस्यता शुल्क की राशि गायत्री पब्लिकेशन्स के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच-रीवा सिटी (आईएफएस कोड 0004667 MICR Code 486002003) के खाता क्रमांक 30016445112 में जमा की जाय।

प्रकाशक: गायत्री पब्लिकेशन्स
रीवा- 486001 (म.प्र.)

मुद्रक: ग्लोरी ऑफसेट
नागपुर

संपादकीय कार्यालय

186/1, विन्ध्य विहार कॉलोनी
लिटिल बैम्बीनोज स्कूल कैम्पस
रीवा- 486001 (म.प्र.)
दूरभाष- 7974781746
E-mail- researchjournal97@gmail.com, researchjournal.journal@gmail.com
www.researchjournal.in

रिसर्च जरनल में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के हैं, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। रिसर्च जरनल के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

सम्पादकीय

समाज की मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण इकाई प्रारंभ से परिवार ही रहा है। देश के सशक्तिकरण एवं विकास के लिए सबसे पहले परिवार जैसी बुनियादी संस्थाओं के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। समाज के विकास के लिए परिवार का संतुलित विकास अति महत्वपूर्ण है। अत: हमें यदि देश का संपूर्ण एवं संतुलित विकास करना है तो हमें परिवार नामक बुनियादी संस्था पर सबसे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम परिवार में पुत्र और पुत्री के बीच कोई भी भेदभाव ना करें और यह हम अपने पुत्रों को आवश्यक रूप से समझाएं और उनके क्रियाकलापों में शामिल भी करवाएं। आज भी पुरानी मान्यता के जो लोग हैं, उनका यह मानना है कि औरत को कोई आजादी नहीं मिल सकती, वह अकेले कहीं नहीं जा सकती हैं, वह अकेले कहीं घूम-फिर नहीं सकती हैं, लेकिन इन मूल्यों को आज का युवा मानने से इनकार करता है।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मकान में जो महत्वपूर्ण स्थान दीवालों का का होता है, समाज में वही महत्व लड़कों की शिक्षा का है। लेकिन घर बनता कैसे है? घर के आधार में कौन हैं? घर के आधार में हमारी पुत्रियां हैं, हमारी लड़कियां हैं, अर्थात उनका संबंध जड़ से है। समाज में अगर हमारी जड़ ही कमजोर हो गई तो हमारा घर या मकान बिल्कुल मजबूत नहीं हो सकता है। इस सामाजिक संदर्भ को यथार्थ में समझने की आवश्यकता है।

पक्षपात की हद तो तब हो जाती है जब छोटे छोटे कार्यों में हमें भेदभाव दिखता है। कुछ लोगों ख्याल है कि लड़की पराया धन होती है, उसे कौन सी नौकरी करनी है। इसलिए कुछ मां-बाप लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं और यह भेदभाव हमारे व्यवहार में खिलाने-पिलाने में पहनाने-उढ़ाने में भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। यह सरासर अन्याय है। ईश्वर ने लड़के और लड़कियों को एक जैसा मस्तिष्क दिया है और आज लड़कियां बेहतर परिणाम लाकर यह सिद्ध भी कर रही है।

लड़कियां तो मां-बाप के घर कुछ ही दिन रहती है, इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनके शिक्षा-दीक्षा, पालन-पोषण पर गहराई से ध्यान दें, तभी हम एक सशक्त समाज की संकल्पना को पूरा कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें हमारे बच्चों का ट्रस्टी बनाया है इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम पूरे न्याय के साथ सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करें क्योंकि लड़के और लड़कियों दोनों में एक जैसी शक्ति है, एक ही आत्मा है। अत: हमें उन्हें विकास का समान अवसर दिया जाना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण का मूलभूत उद्देश्य महिलाओं का विकास और उनमें आत्मविश्वास का संचार करना हैं। महिला सशक्तिकरण समाज के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं का सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रघटना है, क्योंकि वे रचनाकार होती हैं। अगर आप उन्हें सशक्त करें, उन्हें शक्तिशाली बनाएं, प्रोत्साहित करें, यह समाज के लिए बेहतर है। महिला और पुरूष सृष्टि निर्माण और मानव समाज के आधार हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये जीवन रूपी रथ के ऐसे पहिये हैं

जिनसे जीवन-यात्रा सुचारू रूप से संचालित होती है। परिवार और समाज में स्थायित्व के लिए दोनों की ही भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। किसी समाज में परिवर्तन और विकास का आधार पुरूषों और महिलाओं के पारस्परिक मेल-जोल, कदम से कदम मिलाकर चलने और दोनों की समान गतिशीलता पर ही निर्भर है। किसी भी एक पक्ष के पिछड़ने पर सामाजिक जीवन में अराजक स्थिति निर्मित होती है। मानव जाति का इतिहास इसका साक्षी हैं कि जहाँ महिलाओं की उपेक्षा की गई है, वहाँ समाज का विकास अवरूद्ध हुआ है। सृष्टि की रचना, बच्चों की शिक्षा, परिवार की परवरिश के रूप में महिला की भूमिका पुरूष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होने से समाज रचना में उसकी स्थिति केन्द्रीय हो जाती है। अत: स्त्रियों की उन्नति के बिना मानव जाति और समाज का उत्थान नहीं हो सकता। जहाँ तक भारत का संबंध हैं "यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता" अर्थात् जहाँ महिलाओं की पूजा होती है। वहां देवताओं का वास होता है। इस आदर्श के साथ कोई भी भारतीय स्त्री पश्चिमी स्त्री की तुलना में गौरव का अनुभव कर सकती हैं। विद्या का आदर्श सरस्वती में,धन का आदर्श लक्ष्मी में, पराक्रम का आदर्श दुर्गा में, पवित्रता का आदर्श गंगा में, यहाँ तक कि सृष्टि सृजन का आदर्श जगद् जननी के रूप में हमें केवल भारत में ही देखने को मिलता हैं।

(डॉ. अखिलेश शुक्ल)
प्रधान सम्पादक

अनुक्रमणिका

01	वीर सावरकर: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय चरित्र **अरुण श्रीवास्तव**	09
02	भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की महिलाओं का योगदान **राजेश चन्द्र पालीवाल**	15
03	डॉ. लोहिया का सांस्कृतिक चिन्तन: रामायण मेला योजना के विशेष सन्दर्भ में **सुधा गुप्ता**	20
04	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का समाजशास्त्रीय अध्ययन (आगरा जिले के पिनाहट विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में) **भूरी सिंह, अतुल कुमार**	25
05	भारतीय जीवन में शिवोपासना का धार्मिक महत्व **अशुतोष शुक्ल**	30
06	महात्मा गाँधी : महिला विकास के प्रति दृष्टिकोण **सीमा श्रीवास्तव**	39
07	महिला नेतृत्व के साामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण (रीवा जिले की पंचायतों के विशेष संदर्भ में एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन) **कोमल पांडे, अखिलेश शुक्ल**	44
08	महिला अपराधिता पुनर्वास एवं जेल व्यवस्था **गजानन मिश्र**	53
09	घरेलू हिंसा: वर्तमान समय की गहन समस्या व समाधान **अलका रानी**	60
10	भारतीय अर्थव्यवस्था और वर्तमान आर्थिक चुनौतियाँ: एक विश्लेषण **बिन्ध्याचल साह**	66
11	नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: सम्भावनाएँ एवं चुनौतियॉ **सिद्धार्थ मिश्र**	78
12	वैश्वीकरण का सामाजिक- आर्थिक प्रभाव **अजय सिंह गहरवार, अवनीश सिंह, महानन्द द्विवेदी**	82
13	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में स्टार्टअप योजना **संगीता कुँभारे**	92
14	स्टार्ट अप योजना एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं का सशक्तिकरण:एक समाजशास्त्रीय अध्ययन **कृष्ण कुमार पटेल, एस.एम.मिश्रा**	101
15	सतना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्या एवं समाधान **गायत्री देवी, आर. पी. गुप्ता**	108
16	मध्यप्रदेश में कृषि विकास की संभावनाएं एवं चुनौतियां **सुनीता सोलंकी**	115
17	पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य (नईगढ़ी-पिपराही के संदर्भ में) **वंदना मिश्रा**	121

18	शहडोल संभाग में पर्यटन विकास का पारिस्थितिकी पर प्रभाव **बी. पी. सिंह, सविता पटेल**	127
19	समाज और संस्कृति की विकास यात्रा (भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में) **दिव्या मिश्रा**	133
20	शिव ब्रात है? **अशुतोष शुक्ल**	137
21	श्रीमद्भगवद्गीता में मोक्ष योग **प्रत्यूष वत्सला द्विवेदी**	143
22	जैवविविधता और मानवीय क्रियाकलाप (पश्चिमी घाट के विशेष संदर्भ में) **सुनील बाबू विश्वकर्मा, आकृति खरे**	147
23	पराबैंगनी किरणें ओजोन परत को किस तरह प्रभावित करती हैं **मंजरी अवस्थी**	152
24	भारतीय संस्कृति में स्वदेशी खेलो की प्रासंगिकता का महत्व **ममता**	156
25	भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित भावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन **पुरूषोत्तम कुमार साहू, अविनाश कुमार लाल**	166
26	लिंग भेदभाव का महिलाओं के विकास के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन (सतना जिले के विशेष संदर्भ में) **राधा मिश्रा , अमर जीत सिंह, अजय आर. चौर**	171
27	महिला एवं बाल विकास योजनाओं का ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक स्थिति पर प्रभाव (जिला सतना के विशेष संदर्भ में) **विमलेश द्विवेदी, अखिलेश शुक्ल**	179
28	लैंगिक असमानता के कारण एवं समाधान का समाजशास्त्रीय अध्ययन **राधा मिश्रा, अमर जीत सिंह, अजय आर. चौर**	188
29	महिला नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास (सीधी जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के विशेष संदर्भ में) **शिखा पाण्डेय, अखिलेश शुक्ल**	194
30	बाल मानवाधिकार एवं भारत के समक्ष चुनौतियां **जगदीश प्रसाद, सर्वोत्तम कुमार**	198
31	भारत में रोजगार की प्रवृत्तियाँ : महिलाओं के विशेष संदर्भ में **कुमुद श्रीवास्तव**	203
32	पंचायतीराज अधिनियम का प्रभाव महिला नेतृत्व एवं सामाजिक जागरुकता (सीधी जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के विशेष संदर्भ में) **शिखा पाण्डेय, अखिलेश शुक्ल**	210
33	अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत बच्चों के शिक्षा के अधिकार: भारत के संदर्भ में **जगदीश प्रसाद, सर्वोत्तम कुमार**	117
34	सल्तनकालीन महोबा **महेन्द्र मणि द्विवेदी, रानू चौरसिया**	223

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

महिला अपराधिता पुनर्वास एवं जेल व्यवस्था

• गजानन मिश्र

सारांश- वर्तमान समय में महिला अपराधों के सुधार एवं पुनर्वास में जेल व्यवस्था का स्थान महत्वपूर्ण है। महिला कैदियों की पृष्ठभूमिक से ज्ञात होता है कि अधिकांशतः अपराधितायें समाज के गरीब वंचित परिवारों से आती हैं व गरीबी के कारण अनभिज्ञता में अपराध करती हैं। निर्धनता व अपराध का रिश्ता प्रगाढ़ बन चुका है। वस्तुतः अपराध का कारण निर्धनता नहीं है बल्कि इससे उत्पन्न वे मनोवैज्ञानिक कारण जो अपराध की ओर ले जाते हैं, अतः आवश्यकता इस बात की है कि जेल में इस प्रकार के सजायाप्ता प्राप्त कैदियों के पुनर्वास हेतु आवश्यक है कि जेलों में उनकी शिक्षा पुनर्शिक्षा एवं भावात्मक पक्ष को मजबूत कर उनके नियोजन व व्यवसायिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता दें। इस संबंध में जेल व्यवस्था इनके व्यवसायिक शिक्षण, प्रशिक्षा के लिए क्या कर रही है, इस शोध पत्र में इन्हीं बिन्दुओं पर चर्चा की जावेगी।

मुख्य शब्द - जेल, निर्धनता, नियोजन, व्यवसायिक प्रशिक्षण

महिला अपराधियों के सुधार एवं पुनर्वास में जेलों की प्राथमिक भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। वस्तुतः मनुष्य अपना सर्वांगीण जीवन पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में व्यतीत करता है व एक निश्चित पद से आबद्ध रहता हुआ अपनी भूमिका धार्मिक एवं संस्थानिक परिवेश में पूर्ण करता है, सामाजिक प्रस्थिति के अनुसार कुछ अपनी भूमिका में निष्पादन में सफल हो जाते हैं और कुछ असफल जीवन में कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जबकि मनुष्य अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और वह विचलित हो जाता है, साथ ही वह आर्थिक सामाजिक परिवेश में व्यापक रूप से हिस्सेदारी नहीं निभा पाता है, व्यवहारतः उसे अपराधी, अपराध, पीड़ित व्यक्ति एवं संघर्षशील स्थिति से गुजरना पड़ता है। कभी-कभी उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति संकटपूर्ण स्थिति में उलझन खड़ी कर देती है और इससे उसके क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं और यही परिस्थितियां उसे अपराध की ओर अग्रेषित करती हैं। भारत में महिला अपराध का प्रमुख कारण, सामाजिक आर्थिक शोषण है। प्राथमिक अभिकरणों, जैसे परिवार व समुदाय आदि के द्वारा लागू किये गये नियंत्रण की शिथिलता के कारण भी महिलाओं में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ी है, विशेषतः नगरों में पारिवारिक नियंत्रण में आई कमी के कारण

• प्राध्यापक, समाजशास्त्र, स्नातकोत्तर महात्मागांधी महाविद्यालय, करेली

स्त्रियां अधिक निर्वबंध हुई हैं, उनकी यह अनियंत्रित और दिशाहीन स्वतंत्रता ही अक्सर उन्हें अपराध की ओर अग्रेषित करती है। वर्तमान में सामुदायिक नियंत्रण भी शिथिल हुआ है, फलस्वरूप स्त्रियों में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ी है। साथ ही समाज में नैतिक मूल्यों में तेजी से हो रहे परिवर्तन भी महिला अपराध के लिए एक सीमा तक उत्तरदायी हैं। पाप-पुण्य की पुरातन धारणायें निष्प्रभावी हो गयी हैं। शील-अश्लील, सद्-असद्, नैतिक-अनैतिकता की परिभाषाऐं सभी बदल गयी हैं। सामाजिक आदर्श नियमों और उन नियमों को लागू करने वाले अभिकरणों का कृमिक विघटन होने के कारण भी महिला अपराधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं।

अपराध और अपराधी सामाजिक संरचना के ही तत्व होते हैं, समाजशास्त्र में इन दोनों का वैयक्तिक अध्ययन करके इनकी प्रकृति कारक और प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। किसी भी विश्लेषणात्मक विवेचन के लिए प्रत्येक शोध को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए मानव व्यवहार और प्रक्रियाओं को समझना तथा किसी भी शोध में उत्तरदाताओं की सामाजिक, आपराधिक पृष्ठभूमि का महत्व अपराधियों के सुधार के अध्ययन में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सामाजिक संरचना में व्यक्ति का जो स्थान होता है उसे ही बिन्दु मानकर सामाजिक जीवन की भावी दिशा, मात्रा और प्रकृति का मापन किया जाता है। साधारणतया परम्परागत समाजों से आधुनिक समाजों तक सामाजिक संस्तरण में व्यक्ति एक निश्चित पद से आबद्ध रहता है एवं अपनी भूमिका का निर्वहन करता है।

यह निर्विवाद सत्य है कि महिलाओं में शारीरिक एवं मानसिक क्षति, पीड़ा व वेदना की बदला लेने की सहज प्रवृत्ति पायी जाती है तथा इस बदला लेने की सहज प्रवृत्ति की प्रमुख प्रतिक्रिया अथवा परिणाम दण्ड है, दण्ड न केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध की एक सहज प्रवृत्ति है, बल्कि सामूहिक चेतना के प्रतिशोध की सहज भावना की अभिव्यक्ति भी है। सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिये अपराधियों को दण्डित करना आवश्यक है, इसके अभाव में सामाजिक नियंत्रण प्रायः असम्भव सा हो जाता है। विश्व के सभी देशों में दण्ड को अपराध बचाव के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है। अपराध के प्रति प्रत्याशित प्रतिक्रिया दण्ड है। वास्तविक तौर पर दण्ड एक ऐसी पीड़ा है, जो किसी अपराधी को उसके कानून के उल्लंघन के लिए दिया जाता है। यह वह क्षतिपूर्ति है जो राष्ट्र या राज्य एक अपराधी सदस्य से प्राप्त करता है। दण्ड सामाजिक निंदा का कोई भी स्वरूप हो सकता है, इसमें आवश्यक नहीं कि शारीरिक पीड़ा सम्मिलित हो।

महिला अपराधियों की क्रियाशीलता एवं अपराध में उनकी सहभागिता उनके लिये दण्ड को निश्चित करती है। ऐतिहासिक युग से लेकर आधुनिक युग तक के सभी समाजों की सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक नियंत्रण की जिन विधियों का वर्णन मिलता है वे मुख्यतः दो भागों में विभाजित है, प्रथम पुरूस्कृत करना जिससे समाज के अन्य व्यक्ति प्रोत्साहित होकर प्रशंसनीय कार्य करें, दूसरा, उन्हें सजा देना जिन्होंने सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं तथा कानूनों का उल्लंघन करके निंदनीय कृत्य किया है, इस तरह पुरूस्कार एवं सजा मानव समाज के नियंत्रण की प्रमुख विधियां हैं। विश्व के

प्राय: सभी देशों में न्यायिक प्रणालियों के अन्तर्गत अपराधों की रोकथाम के लिये सजा का विधान है। शासन व्यवस्था का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह राज्य में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखे, जो व्यक्ति इसमें व्यवधान डालता है एवं राज्य शासन के नियमों का उल्लंघन करता है वह व्यक्ति अपराधी की श्रेणी में आ जाता है, शासन उसे सजा देकर दण्डित करता है।

सजा अपराध की वह प्रतिक्रिया है जो समाज या राज्य के द्वारा अपराधी के आचरण के विरूद्ध प्रदर्शित की जाती है और दण्डित व्यक्ति को जले में निरूद्ध कर आगामी जीवन ठीक रहे इस संबंध में समय -समय पर विभिन्न वैधानिक एवं नैतिक नियमों के द्वारा उसे बलवान बनाने की प्रक्रिया सम्पूर्ण की जाती है। जेलों के संबंध में आसवर्न ने कारागार को ऐसा संस्थान माना है जिसमें पत्थर की दीवारें लोहे के सीखचे तथा ताला, कुंजी एक ऐसी व्यवस्था को धारण की होती है जिसमें व्यक्ति अपने अन्दर की बुराईयों को अच्छाईयों में परिवर्तित करता है। महिला अपराधिताओं को निरूद्धता की स्थिति में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है एवं उन्हें क्या सुविधायें प्राप्त हैं, व्यवसायिक प्रशिक्षण की क्या स्थिति है इसे निम्न बिन्दुओं में समाहित किया गया है।

शोध का उद्देश्य-

- राज्य सरकार द्वारा महिला कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं का अध्ययन।
- जेल विमुक्तिकरण प''चात् अपराधिताओं से जेल सुविधाओं की जानकारी।
- जेल में महिला अपराधिताओं को मेडिकल फार्माशिष्ट, प्रशिक्षक, मेटर्न एवं स्टाफ में महिला सुविधाओं का अध्ययन।

परिकल्पना-

- जेल निरूद्धता के समय महिला कैदियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई एवं अन्य व्यवसायिक कार्य करवाये जाते हैं जो पुनर्वास के लिए अहम भूमिका निभाते हैं।
- क्या आव''यकता अनुसार महिला अपराधियों को विधिक सहायता प्रदान की जाती है।
- कैदियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के न्यूनतम मानकों के तहत् सुविधाओं का अध्ययन।

तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण तथा सारणीयन-

- प्रस्तुत शोध-पत्र में साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्यों को संकलित एवं वर्गीकृत कर सारणीबद्ध किया गया है।
- यह अध्ययन मूलत: प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों पर आधारित है।
- शोध अध्ययन के अन्तर्गत जेल विमुक्ति पश्चात् महिला अपराधियों से साक्षात्कार कर समंकों को एकत्रित किया गया है।
- शोध अध्ययन के अन्तर्गत मध्यप्रदेश सरकार की विभिन्न जेल सुविधाओं एवं रिपोर्टों को भी शामिल किया गया है।

शोध क्षेत्र- प्रस्तुत शोध अध्ययन केन्द्रीय कारागार जबलपुर से सजा विमुक्ति पश्चात् नरसिंहपुर जिले की 135 महिला अपराधिताओं के साक्षात्कार पर आधारित।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत इतिहास के पृष्ठों का अनुशीलन करने पर पाते हैं कि अनादिकाल से ही समाज व्यवस्था में राजा और प्रजा के रूप में प्रचलित है स्थानीय शासन के आधार पर सम्पूर्ण व्यवस्था आधारित थी , रामायण के अयोध्या काण्ड में राज-काज के केन्द्रीय प्रशासन के 18 विभागों में एक विभाग के प्रमुख अधिकारियों में कारागार अधिकारी व दण्डपाल व प्रदेष्ठा यानि मुख्य न्यायाधीश का वर्णन मिलाता है।

संबंधित साहित्य का अध्ययन- बुद्धकालीन राज व्यवस्था में सेना अर्थ और न्याय शासन के मुख्य विभाग से न्यायमंत्री को विनिश्यामात्या कहा जाता था। वह अभियोगों का निर्णय करने के साथ-साथ राजा से धर्म तथा विधि से संबंधित कार्यो में परामर्श भी देता था। वह गांव संबंधी मामलों को सुलझाने, अभियोगों के निर्णय, मद्यपान, जुआॅ, पशु हिंसा जैसी दूषित प्रवृत्तियों को निषिद्ध कराने का दायित्व निभाता था । मादक वस्तुओं का क्रय-विक्रय भी उसी की अनुमति से होता था।[1]

चन्द्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना की। उस समय न्याय सुव्यवस्थित था, प्रत्येक ग्राम, संघ, संग्रहण, द्रोणमुख, जनपद संधि में न्यायालय स्थापित थे, सबसे ऊपर पाटिलपुत्र में मुख्य न्यायालय था। नीचे के न्यायालयों की अपील ऊपर के न्यायालयों में होती थी, एक कंटक शोधन, जिनमें फौजदारी के अभियोग और दूसरे धर्मस्थीय जिनमें व्यवहारिक दीवानी अभियोगों का निर्धारण होता था। शुक्राचार्य के अनुसार एक ही विधा है- दण्ड नीति के बिना किसी की सुरक्षा नहीं हो सकती। अतः सभी विधाओं में प्रधान यही है, यह विधा स्वतः पूर्ण है। महाभारत और मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में प्रजा मातृ के प्रति दण्ड का विधान किया गया है।[2]

गुप्तकालीन समाज- गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के समान केन्द्रित व गठित नहीं था, परन्तु इस युग में चार प्रकार के न्यायालय थे। कुल श्रेणी गण और राजकीय न्यायालय पहले तीन न्यायालय जनता और चौथा सरकारी था । फाह्यान के विवरण के अनुसार उस जमाने में अपराध कम थे, दण्ड भी कठोर नहीं दिये जाते थे। प्राणदण्ड और शारीरिक दण्ड नहीं दिये जाते थे। राज्य के विरूद्ध षड़यंत्र करने पर सिर्फ दाहिना हाथ काटा जाता था। पश्चात् मध्यकाल में न्याय और व्यवस्था का आधार कुरान था, मोहम्मद तुगलक की न्याय और दण्ड नीति कठोर थी, न्याय और दण्ड धर्म पर आधारित और पक्षपातपूर्ण थे, शेरशाह सूरी का शासन निष्पक्ष और कठोर था। दण्ड का उद्देश्य अपराधी को सुधारने की बजाय जनता के सामने अपराध और दण्ड की भानकता दर्शाकर अपराधों को रोकना था। जहंगीर की न्याय व्यवस्था सराहनीय थी, अमीर गरीब का कोई भेद-भाव नहीं था, सभी को इंसाफ मिलता था। अकबर के शासनकाल में सम्राट ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। शाहजहां के शासनकाल में दीवाने खास में मुकदमों की सुनवाई होती थी। औरगंजेब के समय जज औरंगजेब के निजी चैम्बरों में सुनवाई करते थे।[3]

मुगलों के बाद मराठा युग की न्याय व्यवस्था सरल और युग की मांग के अनुकूल थी, कानूनों की व्याख्या प्रथाओं, परम्पराओं और धर्म के आधार पर की जाती थी। पेशवा स्वयं ही अपराधी की सुनवाई और दण्ड देते थे। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासनकाल में दीवानी और फौजदारी झगड़ों के लिए अलग-अलग अदलतों की

स्थापना की गई। लार्ड विलियम वैंटिग ने कोड़े मारने पर प्रतिबंध लगा दिया। लार्ड मैकाले के प्रयासों से दण्ड प्रक्रिया संहिता बनाई गई। 1857 में जेलों का निर्माण कार्य शुरू किया गया।[4]

ब्रिटिश शासन से पहले यह कहा जा सकता है कि आधुनिक अर्थों में कोई जेल नहीं थी और न ही जेल के भीतर कोई प्रशासन व्यवस्था थी। साधारण तौर पर जेलों की बजाय अर्थदण्ड से अपराधियों को सजा दी जाती थी। कुछ किलों को जेल बना दिया जाता था। सुनिश्चित जेलों का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल के दौरान शुरू हुआ। देश में 1894 में भारतीय कारागार अधिनियम बनाया गया उस समय भारत में 43 सिविल 75 आपराधिक और 67 मिश्रित जेल थीं। जिला मजिस्ट्रेट जेलों के प्रधिकारी होते थे।

1830 में तमिलनाडु में महिलाओं के लिए पहली प्रेसीडेंसी जेल बैल्लोर में बनाई गई और उसके बाद 1872 में मद्रास में दूसरी जेल बनाई गयी। इन महिला जेलों के निर्माण के बाद पृथक-पृथक राज्यों में अलग-अलग महिला जेलों का निर्माण किया गया। उसी श्रृंखला में मध्प्रदेश में भी केन्द्रीय कारागार जबलपुर में महिला अपराधिताओं को निरूद्ध करने की व्यवस्था की गई। क्रिमिनेल्टी एमंग्स्ट वूमेन इन इंडिया 178 में जेल में महिला अपराधियों के पुनर्विन्यास के लिए कदम उठाये गये। इनका मानना था कि अपराध जगत में महिलाओं की उपस्थिति पुरूषों की तुलना में काफी कम होती है, फिर भी इनके अपराध को नकारा नहीं जा सकता। आपका मानना था कि सफेदपोश अपराधों व लूट-पाट में महिलाओं की संख्यायें अधिकतम हैं। कम उम्र की लड़कियों में अपराधवृत्ति की दर अपेक्षाकृत 21 वर्ष से अधिक उम्र की अपराधिताओं से धीमी थी। वैवाहिक महिलायें अविवाहित महिलाओं की तुलना में अधिक शामिल थीं। घरेलू, किसान, मजदूर महिलाओं की संख्या अपराध में अधिक थी। यद्यपि महिला अपराधिताओं की संख्या वर्तमान में दिन व दिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए विभिन्न कारक जिम्मेवार हैं, शहरीकरण, पश्चिमीकरण, अत्याधुनिकता व फैशन तथा मनोरंजन के विभिन्न साधन इन्हें अपराध की ओर घसीट रहे हैं। तत्संबंध में जेल से विमुक्त महिला अपराधियों से पूछे गये मुख्य प्रश्न तालिका में आबद्ध हैं।[5]

महिला अपराधिताओं के पुनर्वास प्रशिक्षण का विवरण

विभिन्न चर	सरकारी योजनाओं की जानकारी	जेल में पुस्तकालय की सुविधा	योग, ध्यान व विभिन्न शिक्षाओं की सुविधा	अपराध के दुष्परिणामों की जानकारी	कुल/प्रतिशत
बरमान	15 11.11	10 7.40	18 13.33	2 1.48	45 33.33
नरसिंहपुर	20 14.81	08 5.02	07 5.18	10 7.40	45 33.33
इमझिरा	15 11.11	20 14.81	9 6.66	01 0.74	45 33.33
कुल/प्रतिशत	50 37.03	38 28.14	34 25.18	13 9.62	135 99.99

स्रोतः- साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर।

उपरोक्त तालिका इस बात को स्पष्ट करती है कि ग्राम इमझिरा व चांवरपाठा में तथा बरमान में कुल 37.03 प्रतिशत अपराधिताओं का ये मानना था कि जेल से विमुक्ति

पश्चात् सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है जिनमें बरमान से 11.11 , नरसिंहपुर से 14.81, इमझिरा से 11.11 प्रतिशत महिलायें शामिल थी । जिनको परिवार के संचालन में अपना पर्याप्त योगदान मिल रहा है । दूसरी ओर जब उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि जेल में पुस्तकालय की सुविधा प्राप्त थी या नहीं तत्संबंध में 20.14 प्रतिशत का ये मानना था कि हमें पुस्तकालय से कोई लाभ नहीं हुआ। क्योंकि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। 9.02 प्रतिशत अपराधितायें जिनमें बरमान से 1.40, नरसिंहपुर से 7.40 एवं इमझिरा से 0.74 प्रतिशत महिलाओं का ये मानना है कि अपराध के दुष्परिणामों के संबंध में हमको बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है जिसकी जानकारी नहीं दी गई।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जेल में निरूद्ध महिलाओं से व्यवसयिक प्रशिक्षण, योग, ध्यान व अन्य बिन्दुओं के संबंध में विभिन्न जानकारियां दी जाती हैं जो उनके विमुक्ति पश्चात् सकारात्मक स्थिति को निर्धारित करती है । इन सबके बावजूद भी मेरा यह मानना है कि महिला कैदियों के पुनर्वास के उपाय के रूप में उनकी नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए काउंशलिंग की आश्यकता है, ताकि वे भविष्य में अपराध ही न करें । इसलिए उन्हें सामाजिक, नैतिक, आर्थिक व भावनात्मक दृष्टि से मजबूत बनाना होगा। महिलायें कठोर श्रम व मेहनत करने की भी क्षमता रखती हैं, इसीलिए उन्हें किसी उद्योग धन्धे में लगाया जा सकता है, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया आवश्यक होगा।

1. पापड़ मसाला, ताजा सब्जियों व फलों आदि की बिक्री जैसे छोटे उद्योगों से वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
2. शैक्षणिक संस्थायें महिला कैदियों को प्रशिक्षित करने व उनके कौशल उन्नयन के कार्यों की जिम्मेवारी ले सकती हैं।
3. महिला कैदियों को अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाये साथ ही अनपढ़ कैदियों को कोई न कोई हुनर सिखाया जाये तथा धर्म विश्वास के अनुसार पौराणिक आख्यानों के उद्धरणों से नैतिक शिक्षा की जानकारी देते हुए उनके पति और परिवार के सदस्यों के लिए काउंसलिंग की जाये । ताकि वे रिहाई के बाद अपराधों की दुनिया में दोबारा जाने से रोकने में मदद करें।
4. ग्रामीणों को अपराधों के दुष्परिणामों की जानकारी दी जाये। कैदियों को टेलनिंग, ग्लास पेंटिंग, पाट पेंटिंग, जूट बैग मेकिंग, फिनाइल, अगरबत्ती, अचार, पापड़, चटनी आदि का प्रशिक्षण देकर सहकारी समितियां बनाकर उत्पाद बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।
5. सिद्धदोष कैदियों को स्वयं सहायता समूह बनाकर एंजियों की मदद से बैंकों से वित्तीय सहायता लेकर अपना लघु उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। साथ ही स्थानीय महिला संगठन महिला कैदियों के पुनर्वास के लिए प्रयास करे तथा सरकारी व विधिक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करे कि महिला कैदियों के मुकद्मों को ठीक से निपटाने के प्रयास किये जायें ताकि विचाराधीन कैदी लम्बे समय तक जेलों में न रहें ।

6. जगह-जगह सरकार प्राईवेट परामर्श केन्द्र स्थापित करे, जहां महिलायें अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए परामर्श ले सकें। साथ ही पुनर्वास कार्यक्रमों के प्रभाव को आंकलन भी किया जाये और उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाये।
7. समाज एक बार के अपराधी को हमेशा अपराधी समझने के अपने नजरियें में बदलाव लाये और रिहा व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील हो । साथ ही स्वेच्छिक संगठनों व स्वेच्छिक संस्थाओं को आगे बढ़कर कैदियों की मदद करना होगी तथा पुनर्वास के उपायों में आर्थिक व सामाजिक जरूरतों दोनों को शामिल किया जाये ।

अंतिम बिन्दु पर पुनर्वास उपायों का अंतिम उद्देश्य महिला कैदियों को पति परिवार व समाज में स्वीकार करना है। वे जिस घर परिवार व समाज से उठकर जेल पहुंची थी वहीं दोबारा लौटकर मुख्यधारा में शामिल होना है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. वर्मा विश्वनाथ प्रसाद, आधुनिक भारतीय राजनैतिक चिंतन , लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा पेज-103 सन् 1988
2. सतेन्द्र, जीवन परिचय, कबीर साहित्य, नई दिल्ली प्रकाशन विभाग भारत सरकर वर्ष 2001 पेज- 10-12
3. बावेल बसंतीलाल, बौद्धिक सम्पदा कानूनी पेज 6- 168 , वर्ष -2000 सेन्ट्रल लॉ एजेंसी इलाहाबाद
4. मजूंमदार राय, चौधरी भारती का वृहद इतिहास, भाग-3, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड दिल्ली , 1955 पृ. 92-93
5. Abrahamsen, D., Crime and the Human Mind, Columbia University Press, New York, 1944
6. Cavan , Ruth S., Criminology, Crowell, New York, 1955
7. Deb. R.,m Poice and Law Enforcement, S.C. Shankar and Sons Pvt. Ltd. Calcutta, 1985.
8. Lombroso, C., Crime, Its Causes and Remedies, Trans. by H.P. Horton, Little Brown, Boston, 1911.
9. Matza, David, Delinquency and Drift, Wiley, New York, 1964.
10. Merton, Robert K., Social structure and Anomie, American Sociological Review 3 (October), pp. 672-692 reprinted pp. 238-246 in marvin E.Wolfgang .